कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्याः–768/1जी–**FP/UK/ROAD/11030/2015** देहरादूनः दिनांकः 03 सितम्बर, 2015

सेवा में,
अपर सचिव, वन
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत प्रस्तावित विजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग निर्माण हेतु–2.156 है0 वन भूमि हस्तान्तरण **FP/UK/ROAD/11030/2015**

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। प्रस्ताव में प्रति है0 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संलग्नकः उपरोक्तानुसार
संख्या /1जी–**FP/UK/ROAD/ 11030 /2015** तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक ~~गढ़वाल शिविर कार्यालय, देहरादून~~ कुमाऊँ।
3. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा।
4. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग/पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत प्रस्तावित विजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग निर्माण हेतु–2.156 है0 वन भूमि हस्तान्तरण **FP/UK/ROAD/11030/2015**

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु बागेश्वर वन प्रभाग में पंचायती वन भूमि, 0.576 है0 सिविल वन भूमि 1.580 कुल 2.156 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपरोक्त वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनहित में प्रस्ताव में प्रति है0 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (एस0टी0एस0लेप्चा भा.व.से.)
अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून

सरकारी मोहरः
तिथि : 03/09/2015
स्थान : देहरादून